बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

:: संकल्प ::

पटना–15, दिनांक–

श्री अजय कुमार सिंह (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 155/24, तत्कालीन अपर समाहर्त्ता–सह–अपर जिला दंडाधिकारी, भागलपुर सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध श्री सुनील किशोर प्रसाद, पिता–स्व० अवध किशोर प्रसाद, साकिन–चौधरी टोला, कहलगाँव, वार्ड नं0–12, पोस्ट, थाना–कहलगाँव, जिला–भागलपुर द्वारा परिवाद–पत्र दिया गया, जिसमें अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के निदेश के बावजूद श्री अजय कुमार सिंह द्वारा दाखिल–खारिज रिविजन वाद सं0–244/2022–23 में एक पक्षीय सुनवाई करते हुए Ulterior Motives से सेवानिवृत्ति के बाद बैकडेटिंग कर भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कहलगाँव के दाखिल–खारिज अपील वाद सं0–144/2021–22 के आदेश को विखंडित का आदेश पारित किये जाने संबंधी आरोप लगाया गया। उक्त आरोप के संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 1674 दिनांक 09.09.2025 द्वारा आरोप–पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से प्राप्त आरोप–पत्र (साक्ष्य सहित) के आधार पर विभागीय स्तर पर आरोप–पत्र पुनर्गठित किया गया, जिसपर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विभागीय पत्रांक 18924 दिनांक 01.12.2025 द्वारा श्री सिंह से प्रतिवेदित आरोपों पर स्पष्टीकरण की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री सिंह के पत्र दिनांक 05.12.2025 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें इनके द्वारा आरोपों से इन्कार किया गया है।

श्री सिंह के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं इनके स्पष्टीकरण की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक् समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त आरोपों की गंभीरता को देखते हुए इनके स्पष्टीकरण को अस्वीकृत किया गया तथा आरोप–पत्र में अंतर्विष्ट आरोपों की वृहत जाँच हेतु बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के संगत प्रावधानों के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया, जिसमें महानिदेशक–सह–मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार को स्वयं अथवा उनके अधीन किसी जाँच आयुक्त को जाँच करने एवं प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना द्वारा नामित किन्हीं वरीय पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध है कि इस अनुशासनिक कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी को सहयोग प्रदान करने हेतु अपने अधीनस्थ किन्हीं वरीय पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त कर महानिदेशक–सह–मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचित किया जाय।

श्री सिंह से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु, जैसा कि संचालन पदाधिकारी अनुमति दें, उनके समक्ष स्वयं उपस्थित होंगे।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(उमेश प्रसाद),
सरकार के अवर सचिव।

(कृ0पृ0उ0)

ज्ञापांक–2/आरोप–01–13/2025–सा0प्र0– /पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि :– आरोप–पत्र (साक्ष्य सहित) की प्रति के साथ महानिदेशक–सह–मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना/श्री अजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 155/24, **पत्राचार**–पिता–स्व० मुनी लाल प्रसाद, 203/ए०, वृन्दावन अपार्टमेन्ट, फेज–02, मलाही पकड़ी, पो०–कंकड़बाग, जिला–पटना (बिहार)–800020, मोबाइल नं0–8969841518 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संचालन पदाधिकारी से अनुरोध है कि विभागीय परिपत्र संख्या 2178 दिनांक 28.02.2007 के आलोक में श्री अजय कुमार सिंह (सेवानिवृत्त बि0प्र0से0) के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही यथाशीघ्र सम्पन्न कर निर्धारित अवधि में जाँच प्रतिवेदन मंतव्य सहित तीन प्रतियों में उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनु0 :– (1) आरोप–पत्र (साक्ष्य सहित) की छायाप्रति।
(2) श्री सिंह द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की छायाप्रति।
(3) जाँच–पत्र।

ह0/–
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक–2/आरोप–01–13/2025–सा0प्र0– 193 **/पटना, दिनांक–** 02.01.26

प्रतिलिपि :– वरीय पदाधिकारी, प्रभारी प्रशाखा–12, 14, 29 एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02.1.26
सरकार के अवर सचिव।